## शान्ती समाज सेवी समिति 2/377 खतराना स्ट्रीट फर्रुखाबाद–209625(उ0प्र0)

## बार्षिक प्रगति आख्या वर्ष 2012–13

1– भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सहयोग से संस्था द्वारा जनपद फर्रुखाबाद (उ0प्र0) में पारिवारिक विवादों एवं गृह कलह से ग्रसित महिलाओं के सहायतार्थ परिवार परामर्श केन्द्र का संचालन किया गया। जिसके अन्तर्गत आने वाले केसो को आपसी वार्ता एवं परामर्श द्वारा सुलह समक्षौते से निपटाया गया। संस्था के इस प्रयास से जनपद में संस्था की ख्याति सद्भावना पूर्ण माहौल बनाने के लिये फैल रही है तथा न्यायलय में पहुॅचने वाले छोटे–मोटे विवादों में भी कमी हो रही है।

महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा भारत सरकार के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संस्था को जनपद फर्रुखाबाद हेतु सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किया गया है। जिसके अन्तर्गत न्यायलय में प्रस्तुत किये जाने वाले घरेलू हिंसा से सम्बन्धित विवादों की विवेचना द्वारा संस्था में कार्यरत काउन्सलरों द्वारा सत्य के पक्ष को न्यायलय में प्रस्तुत किया जाता है। संस्था को पुलिस, प्रशासनिक एवं न्याय विभाग का सहयोग तथा संरक्षण प्राप्त है।

2– भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से संस्था द्वारा उ0प्र0 के जनपद फर्रुखाबाद में 50 निराश्रित बेसहारा महिलाओं हेतु स्वाधार केन्द्र आश्रयगृह का संचालन किया गया। जिसके अन्तर्गत महिलाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर सुदढ़ बनाने के साथ–साथ महिलाओं के आत्मबल को जाग्रत कर उनके अन्दर स्वप्रबन्धन की दक्षता प्रदान की जा रही है तथा समाज से उपेक्षित महिलाओं को चारित्रिक, नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा द्वारा अबला से सबला बनाने की गतिविधियॉसंचालित है।

3– भारत सरकार के सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संस्था द्वारा जनपद कानपुर के नगर क्षेत्र के परिषदीय एवं माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के लिये मध्यान्ह भोजन के वितरण का कार्य जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के सहयोग सं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सम्पन्न किया गया।

4– भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नेशनल ट्रस्ट के निर्देशानुसार संस्था द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में प्रमस्तिष्क, अंगघात, स्वपरायण, मानसिक मान्दित एवं बहुनिःशक्त 20 बच्चों हेतु एक एस्पाइरेशन डे केयर सेन्टर का संचालन किया गया। जिसके अन्तर्गत बच्चों कों स्कूल रेडीनेश एवं व्यावहारिक जागरुकता की शिक्षा भी दी गयी।

5– भारत सरकार वित्त मंत्रालय की नेशनल कमेटी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35AC के अन्तर्गत अनुमोदित समाज में मौजूद गरीब जन समुदाय को स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने की परियोजना के अन्तर्गत संस्था द्वारा ग्रमीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरुकता तथा प्रजनन एवंबाल स्वास्थ्य (RCH) परिवार कल्याण जागरुकता गोष्ठियों का आयोजन किया गया। जिनके माध्यम से निःशुल्क जॉच एवं उपचार, गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा बच्चों का टीकाकरण सम्बन्धी जागरुकता गतिविधियों का संचालन किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद में प्रख्यात जरी इम्ब्राइड्री का प्रशिक्षण गरीब महिलाओं एवं पुरुषो को प्रदान किया गया तथा उपकरण वितरित किये गये।

6– संस्था द्वारा चलाये जा रहे साइन्टिफिक एवं सोशल रिसर्च कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त कार्यक्रमों के साथ–साथ गोष्ठियों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं योगा को अपनाकर आरोग्यता को प्राप्त करने व्यक्तित्व विकास, नैतिकता, भारतीय संस्कृति, दैवीय संस्कार धारण कर उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की प्रेरणायें जनसमुदाय को प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त जल प्रबन्धन, जल संरक्षण, आपदा प्रबन्धन, बाढ़, भूकम्प आदि से बचाव, ग्राम स्वच्छता की जानकारी दी गयी।

(मुरलीधर गौड़)